न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं० 07, हरदोई।

सत्र परीक्षण सं० 229/2019

सरकार बनाम विपुल पाण्डेय आदि

C.N.R. No. UPHR010014042019

अपराध सं० 335/2017

धारा 394, 307, 323

325, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना सांडी, जिला हरदोई।

दिनांक 11.04.2022

निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं०

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में पी०डब्लू० 01 वादी मुकदमा का साक्ष्य पूर्ण हो चुका है व पी०डब्लू० 02 चोटहिल साक्षी अमित कुमार शुक्ला की मुख्य परीक्षा अंकित की जा चुकी है। दोनों ही साक्षियों द्वारा अन्य अभियुक्तगणों के साथ–साथ अतुल पाण्डेय द्वारा भी घटना कारित करना अपने 161 दं०प्र०सं० के बयानों में व न्यायालय में दिये गये सशपथ बयानों में कहा गया है। अतुल पाण्डेय प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है, जिसके विरूद्ध विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। अतुल पाण्डेय को विचारण हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त की ओर से उपरोक्त के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी के भाई अतुल पाण्डेय, विद्युत विभाग में टी०जी० 2 (तकनीशियन) के पद पर कार्यरत है तथा कथित दिनांक 13.09.2017 को भी 33/11 के०वी० उपकेन्द्र सुरसा, हरदोई में तैनात थे। उस दिन उसका भाई अतुल पाण्डे ग्राम फरदापुर अस्योली व अन्य गांव में राजस्व वसूली व वी०पी०एल० कनेक्शन के कार्य से अन्य सहयोगी स्टाफ के साथ सुबह 10 बजे से 5 बजे तक व्यस्त थे। यह सभी गांव तथाकथित घटना स्थल से लगभग तीस किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। अतुल पाण्डेय के ड्यूटी पर उपस्थिति के संबंध में विवेचक ने विस्तृत जांच की व संतुष्ट होने के उपरांत अतुल पाण्डेय को निर्दोष पाते हुए अंतिम आख्या प्रस्तुत की है। वादी व साक्षी 2 के बयानों के अतिरिक्त अभी काफी साक्ष्य शेष है, जिसके होने से पूर्व व साक्षी 02 पर जिरह होने से पूर्व प्रार्थी के भाई को अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० तलब किया जाना न्यायसंगत नहीं है। उपरोक्त आधार पर अभियोजन के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने की याचना की है।

मैंने अभियोजन अधिकारी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

वर्तमान केस में वादी मुकदमा दिनेश कुमार शुक्ल ने, जो एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी है, उसमें अन्य मुल्जिमान के साथ ही अतुल पाण्डेय का नाम भी लिखाया गया, लेकिन विवेचक ने

Digitally signed by
ASHA RANI SINGH
Date: 2022.04.11
16:50:17 IST
Reason: Document
Owner
Location: District and
Sessions Court

दौरान विवेचना अतुल पाण्डेय का नाम निकाल दिया अर्थात उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। वादी मुकदमा दिनेश कुमार शुक्ल ने पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित होकर, जो बयान दिया है, उसमें अन्य मुल्जिमानों के साथ अतुल पाण्डेय के द्वारा भी अपराध कारित किए जाने की बात कही है।

माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह मत अभिधारित किया गया है कि **Summoning Power should be exercised only when strong and cogent evidence occurs against a person**.

वर्तमान केस में अभियुक्त अतुल पाण्डेय, विद्युत विभाग में टी०जी० 2 (तकनीशियन) के पद पर कार्यरत है तथा कथित दिनांक 13.09.2017 को 33/11 के०वी० उपकेन्द्र सुरसा, हरदोई में को अपनी ड्यूटी पर था। उसके हाजिरी रजिस्टर की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल है। पत्रावली पर अन्य ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अतुल पाण्डेय घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित रहा हो।

अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते गवाही दिनांक 02.05.2022 को पेश हो।

दिनांक 11.04.2022

(आशा रानी सिंह)
अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट नं० 7,
हरदोई।
ID No–UP6373